



2026:AHC:18519

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 137/2026

कवलधारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अनुराग उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:-

"परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी, आजमगढ़ (प्रत्यर्थी संख्या 2) को यह आदेश दिया जाए कि वह अपील संख्या 3376/2024, कवलधारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, उत्तर प्रदेश चकबंदी जोत अधिनियम, 1953 की धारा 11(1) के अंतर्गत, जो उनके न्यायालय में लंबित है, का विनिश्चय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित संक्षिप्त अवधि के भीतर अधिमानतः शीघ्रता से करे।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को, यदि उक्त मामले को शीघ्रता से विनिश्चित करने का निदेश जारी किया जाए तो, कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे उक्त मामले का विनिश्चय, सकारण और आख्यापक आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः **पाँच माह** की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार कड़ाई से शीघ्रता से करें।

5. उपरोक्त निदेश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से **निस्तारित** की जाती है।

28 जनवरी, 2026

विकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)